—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 70/2019

उनवान

1. पन्ना सिंह
2. अन्ना सिंह
3. धन्ना सिंह समस्त जाति रावत निवासी ग्राम मानपुरा, नसीराबाद

—— प्रार्थीगण :— जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. भागचन्द पुत्र मांगीलाल जाति रावत निवासी ग्राम मुहामी, नसीराबाद,
2. मैनेजर बैंक आफॅ बडौदा शाखा बीर, अजमेर,
3. उप पंजीयक नसीराबाद
4. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :— 1 जरियें अधिवक्ता श्री महेश सुकरिया
2 अनुपस्थित
3 व 4 जरियें राज. पेरोकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: आदेश :— दिनांक :—20.11.24

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम मानपुरा प.म. कानाखेडी के वंर्किग खसरा नम्बर 175 रकबा 22—19—10 के हाल खसरा नम्बर 247 रकबा 1.45 की आराजी नामान्तकरण संख्या 25 दिनांक 22.03.1998 से प्रार्थीगण के पिता मेवा पुत्र दोला के नाम खातेदारी दर्ज की गयी। मेवा पुत्र दोला की मृत्यु हो गयी है जिसके वारिस प्रार्थीगण ही है। आराजी मुतनाजा पर प्रार्थीगण ही काबिज काश्त है। राजस्व अधिकारियों ने हाल राजस्व अभिलेख में खसरा नम्बर 247 रकबा 1.45 को त्रुटिपूर्ण तरीके से अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज कर दिया। अप्रार्थी संख्या 1 बिना किसी अधिकार के उक्त आराजी पर दखलदांजी कर रहा है तथा अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। जिसका उसे कोई कानूनी अधिकार नही है। अतः अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किया जावे की आराजी मुतनाजा पर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखल नही करे भूमि का अन्यत्र हस्तांतरण/बैचान नही करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा प्रतिवादी संख्या 1 के दादा भोमा पुत्र दोला को आवंटित [illegible] की मृत्यु के बाद प्रतिवादी संख्या 1 उक्त आजी पर काबिज काश्त चला आ [illegible] अप्रार्थी संख्या 2 प्रकरण में अनुपस्थित रहा। राज. पैरोकार ने मूल [illegible] में जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:09:59 IST
Reason: SelfAttested

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज. पैरोकार [illegible] बहस पर

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

मनन किया। प्रकरण में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

प्रथम दृष्टया मामला :–

प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम मानपुरा प.म. कानाखेडी के वंर्किग खसरा नम्बर 175 रकबा 22–19–10 के हाल खसरा नम्बर 247 रकबा 1.45 की आराजी नामान्तकरण संख्या 25 दिनांक 22.03.1998 से प्रार्थीगण के पिता मेवा पुत्र दोला के नाम खातेदारी दर्ज की गयी। मेवा पुत्र दोला की मृत्यु हो गयी है जिसके वारिस प्रार्थीगण ही है। आराजी मुतनाजा पर प्रार्थीगण ही काबिज काश्त है। राजस्व अधिकारियों ने हाल राजस्व अभिलेख में खसरा नम्बर 247 रकबा 1.45 को त्रुटिपूर्ण तरीके से अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज कर दिया। वंर्किग खसरा नम्बर 175 रकबा 22–19–10 में से 9–0–0 भूमि प्रार्थीगण के पूर्वज मेवा पुत्र दोला व 9–0–0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के दादा भोमा पुत्र दोला को आवंटित हुयी। उक्त वंर्किग खसरा नम्बर 175 के हाल खसरा नम्बर 245 रकबा 0.78 पर अप्रार्थी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा व हाल खसरा नम्बर 247 रकबा 1.45 पर अप्रार्थी संख्या 1 का पूर्ण हिस्सा दर्ज है। वंर्किग जमाबंदी में अप्रार्थी संख्या 1 के दादा को 9–0–0 भूमि ही आवंटित हुयी थी। किन्तु हाल खसरा नम्बर 247 व 245 का कुल रकबा 2.23 में से 1.84 है. भूमि अकेले अप्रार्थी संख्या 1 के नाम खातेदारी दर्ज है। जबकि वंर्किग जमाबंदी अनुसार 9–0–0 भूमि हाल राजस्व अभिलेख में प्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज होनी चाहिये थी। अप्रार्थी संख्या 1 का कथन है कि उसके दादा को आराजी मुतनाजा का आवंटन हुआ था, किन्तु अप्रार्थी संख्या 1 के दादा को सम्पूर्ण आराजी का आवंटन नही होकर मात्र 9–0–0 भूमि ही आवंटित हुई थी। आराजी मुतनाजा के पूर्व राजस्व अभिलेख के आधार पर प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थीगण सिद्व होता है।

2. <u>सुविधा का संतुलन</u> :– न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को हाने वाली क्षति को ध्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थीगण सिद्व होता है। तद्नुसार सुविधा का संतुलन भी बहक प्रार्थी सिद्व होता है।

3. <u>अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना</u> :– विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेधाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 के दादा को सम्पूर्ण आराजी का आवंटन नही होकर मात्र 9–0–0 भूमि ही आवंटित हुई थी। अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को पाबंद नहीं किये जाने से अपूरणीय क्षति की संभावना प्रार्थी के पक्ष में होती है।

आदेश :– अतः ग्राम कानाखेडी के हाल खसरा नम्बर247 रकबा 1.45 की आराजी पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। तथा अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि मूल वाद के निस्तारण तक उक्त आराजी की मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनायें रखेंगे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:09:59 IST
Reason: SelfAttested